न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 888–एक / 2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–2–13 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 339 / 2011–12 / अपील

.....

1–भारतसिंह पिता श्री बजेसिंह
2–उंकारसिंह पिता श्री बजेसिंह
3–ईश्वरसिंह पिता श्री बजेसिंह
4–भगवानसिंह पिता श्री बजे सिह
5–उदयसिंह पिता श्री बजेसिंह
निवासीगण ग्राम खेडाबमोरी तहसील व
जिला शाजापुर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–अनोप सिंह पिता श्री प्रहलादसिंह
2–गिरवरसिंह उर्फ गिरनारसिंह पिता श्री प्रहलादसिंह
3–अर्जुनसिंह पिता श्री प्रहलादसिंह
4–गुलाबसिंह पिता श्री मानसिंह
5–कुमेरसिंह पिता भेरूसिंह मृत वारिसान
अ–ओमसिंह पुत्र स्व.श्री कुमेरसिंह
निवासी ग्राम खेड़ाबमोरी
तहसील व जिला शाजापुर
ब–सोरम बाई पत्नि श्री गोकुल सिंह पुत्री स्व.श्री कुमेरसिंह
निवासी बधौनी तहसील व जिला शाजापुर
6–राजेन्द्रसिंह पिता श्री रामसिंह
7–रायसिंह पिता श्री मोतीसिंह
8–रामसिंह पिता प्रहलादसिंह
समस्त निवासी ग्राम खेड़ाबमोरी
तहसील व जिला शाजापुर

..... अनावेदकगण

.....

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषकगण–अनावेदक कमांक 1,2,3,5 व 8

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/1/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष उभयपक्ष के स्वत्व स्वामित्व की भूमि के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30–5–2009 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–11–2000 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानते हुये निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10–2–12 को निगरानी निरस्त की जाकर निर्देशित किया गया कि यदि अनावेदक कमांक 1 चाहे तो सक्षम न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है । अपर कलेक्टर के आदेश के पालन में अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–2–13 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई थी इसलिये अपर आयुक्त के समक्ष अवधि का बिन्दु विचारणीय था, इसलिये उनके

द्वारा गुणदोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर बटवारा नियमों का पालन करते हुये बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1,2,3,5 व 8 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् बटवारा नहीं किया जाकर असमान बटवारा किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु पर आदेश पारित किया गया था इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने सभी उभयपक्षों को नोटिस तामील नहीं कराये गये हैं, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील समय बाह्य मानने में त्रुटि की गई है । तहसील न्यायालय द्वारा कब्जे के आधार पर फर्द बटांन तैयार की गई है, जबकि खसरे में हिस्से स्पष्ट लिखे गये थे । सभी पक्षों की तहसील न्यायालय में सहमति भी नहीं थी, फर्द बटांन पर यह अंकित भी है, तहसील न्यायालय द्वारा उसकी अनदेखी की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेशों को निरस्त करनें में न्यायसंगत एवं विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,ग्वालियर